कौटिल्य एकेडमी
www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

CURRENT AFFAIRS

PRELIMS+MAINS QUICK REVISION

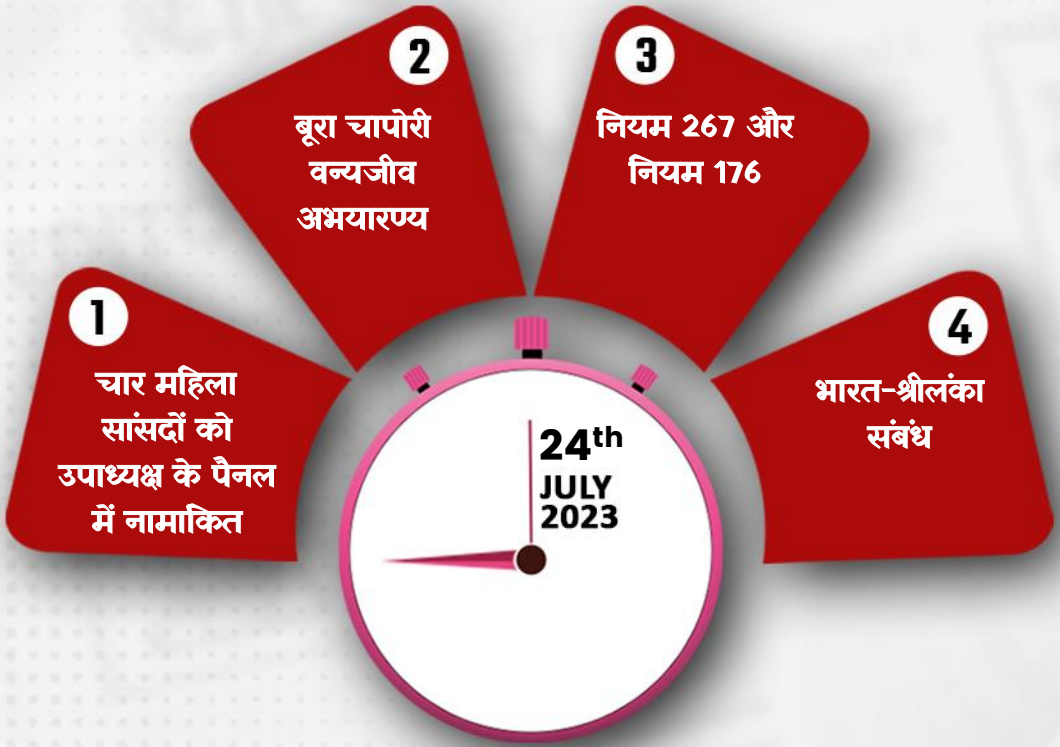

चार महिला सांसदों को उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित

- **राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने** 50 प्रतिशत महिला सांसदों के साथ उप सभापति पैनल का पुनर्गठन किया है।
- आठ सदस्यीय पैनल में अब चार महिला सदस्य होंगी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) **सांसद पीटी उषा** और **एस. फांगनोन कोन्याक,** राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद **फौजिया खान** और बीजू जनता दल सांसद **सुलता देव** शामिल हैं।
- उपराष्ट्रपति ने मानसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन में यह घोषणा की। उच्च सदन के इतिहास में यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।

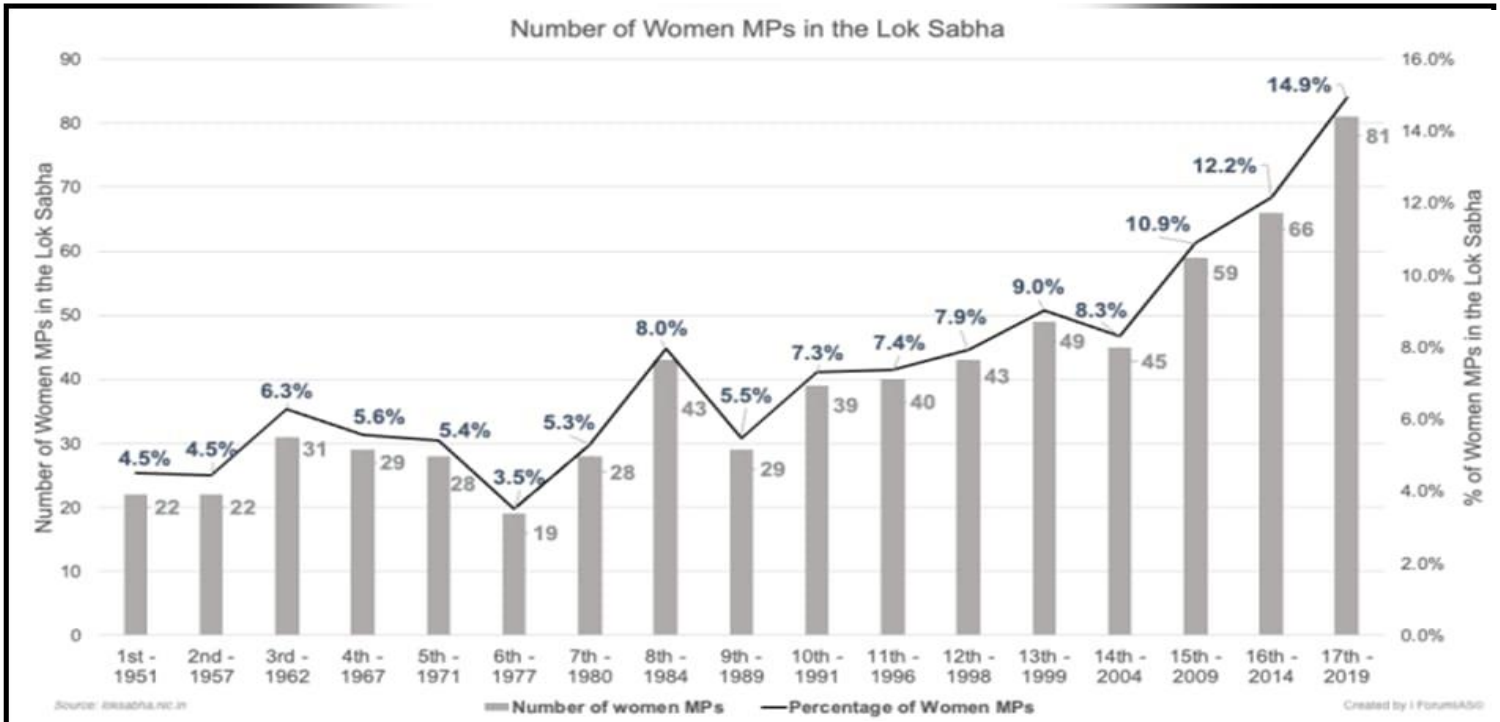

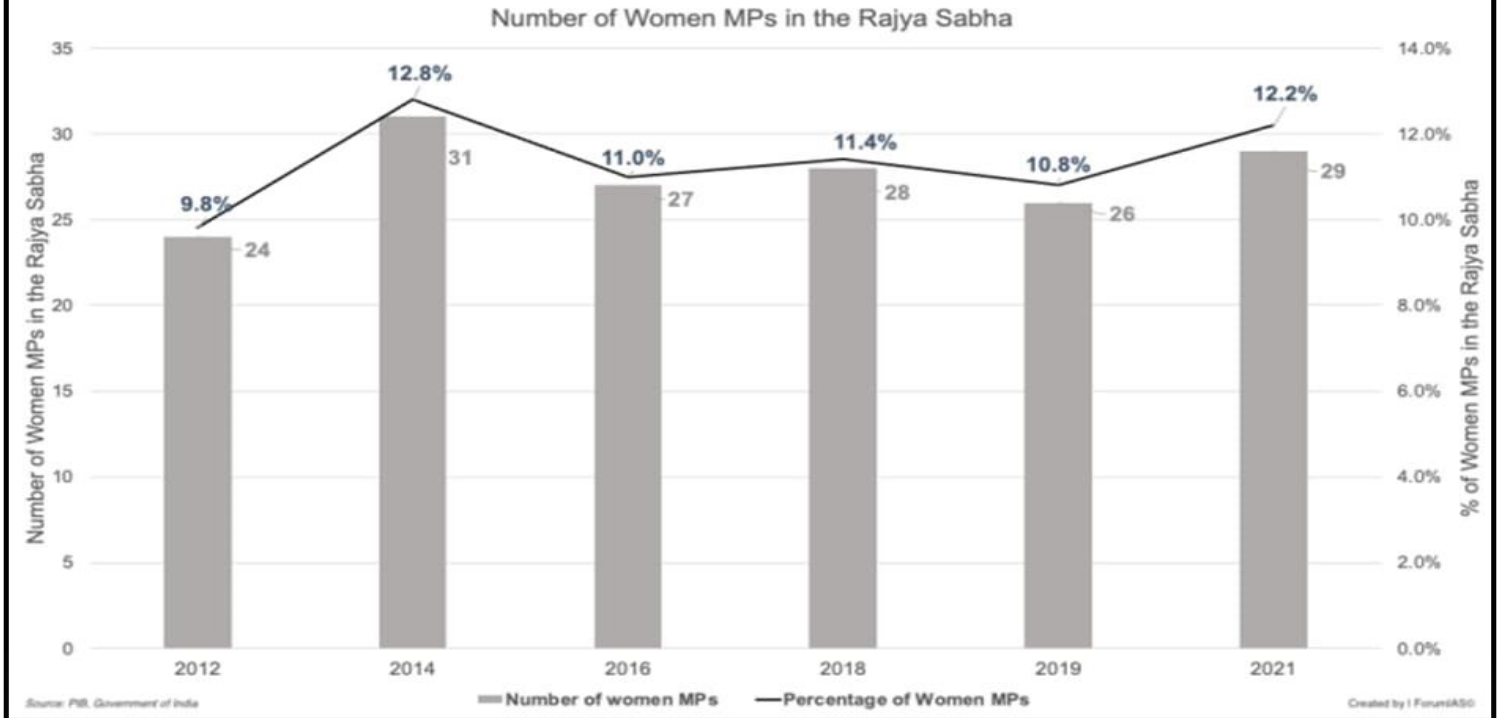

www.kautilyaacademy.com | CONTACT: 94250-68121, 91110-10991

➔ राज्यसभा के इतिहास में पहली बार महिलाओं को पैनल में समान प्रतिनिधित्व मिला, जबकि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहली बार वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया था, अभी भी लंबित है।

➔ **श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक** नगालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। राज्यसभा अध्यक्ष का पद पूरी तरह से डिजिटल हो गया है।

➔ **संविधान का अनुच्छेद 118(1)** संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।

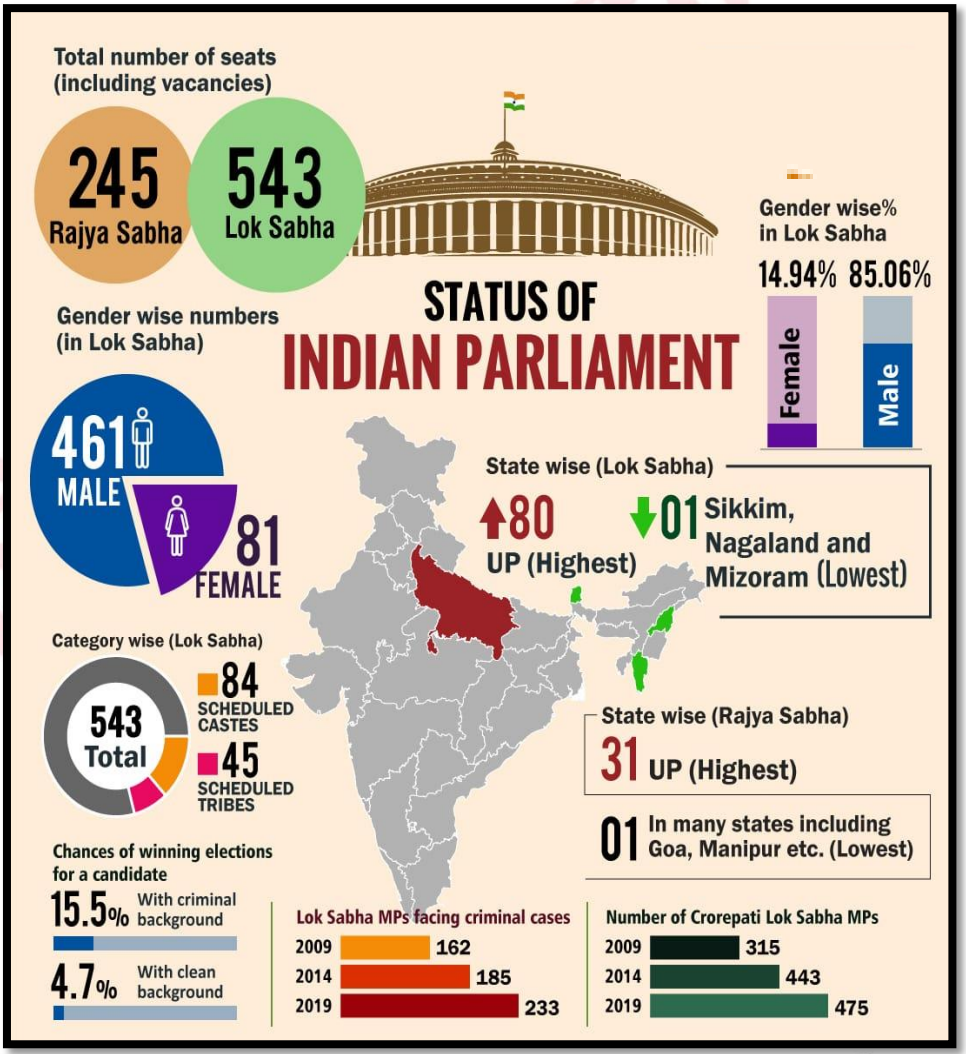

➔ राज्यसभा ने **वर्ष 1964** में अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज़ के संचालन को विनियमित करने के लिये नियमों को अपनाया था।

➔ हाल के दिनों में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या में नियमित रूप से बढ़ोतरी देखी गई है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या वर्ष 2004 (14वीं लोकसभा) के **45 (8.3%) से बढ़कर** वर्ष 2019 (17वीं लोकसभा) में **81 (14.9%) हो गई** है।

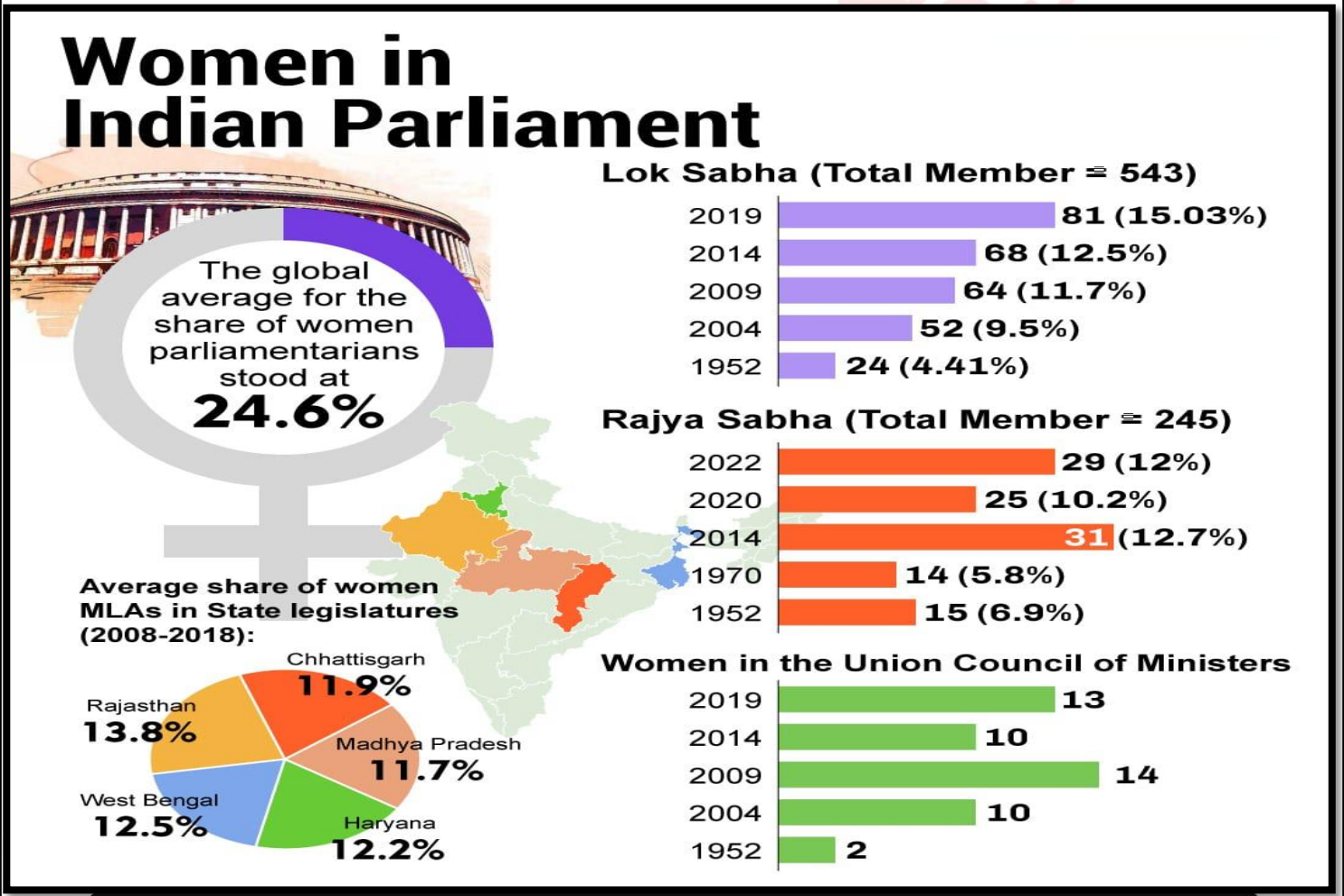

बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य

- हाल ही में, **बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य** में वन टीमों और अवैध अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए।
- यह असम के सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह लाओखोवा-बुराचापोरी इको-सिस्टम का एक हिस्सा है।
- इसमें आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियों द्वारा बिखरे हुए गीले जलोढ़ घास के मैदान, तटवर्ती और अर्ध-सदाबहार वनों की प्रजाति शामिल है।
- यह महान भारतीय **एक सींग वाले गैंडे, बाघ, तेंदुए, जंगली भैंस, हॉग हिरण, जंगली सुअर** और **हाथियों** का घर है।
- कई आर्द्रभूमियों के कारण यह सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों के लिये एक आदर्श प्रजनन स्थान है।
- यह घास का मैदान विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियों और पौधों से भी समृद्ध है
- इस क्षेत्र को 1974 में एक आरक्षित वन घोषित किया गया था, यह 1995 में एक अभयारण्य बन गया।
- यह वन्यजीव अभयारण्य **लगभग 44.06 वर्ग किलोमीटर** के क्षेत्र में फैला हुआ है। मानसून के दौरान अभयारण्य क्षेत्र में भारी वर्षा होती है।

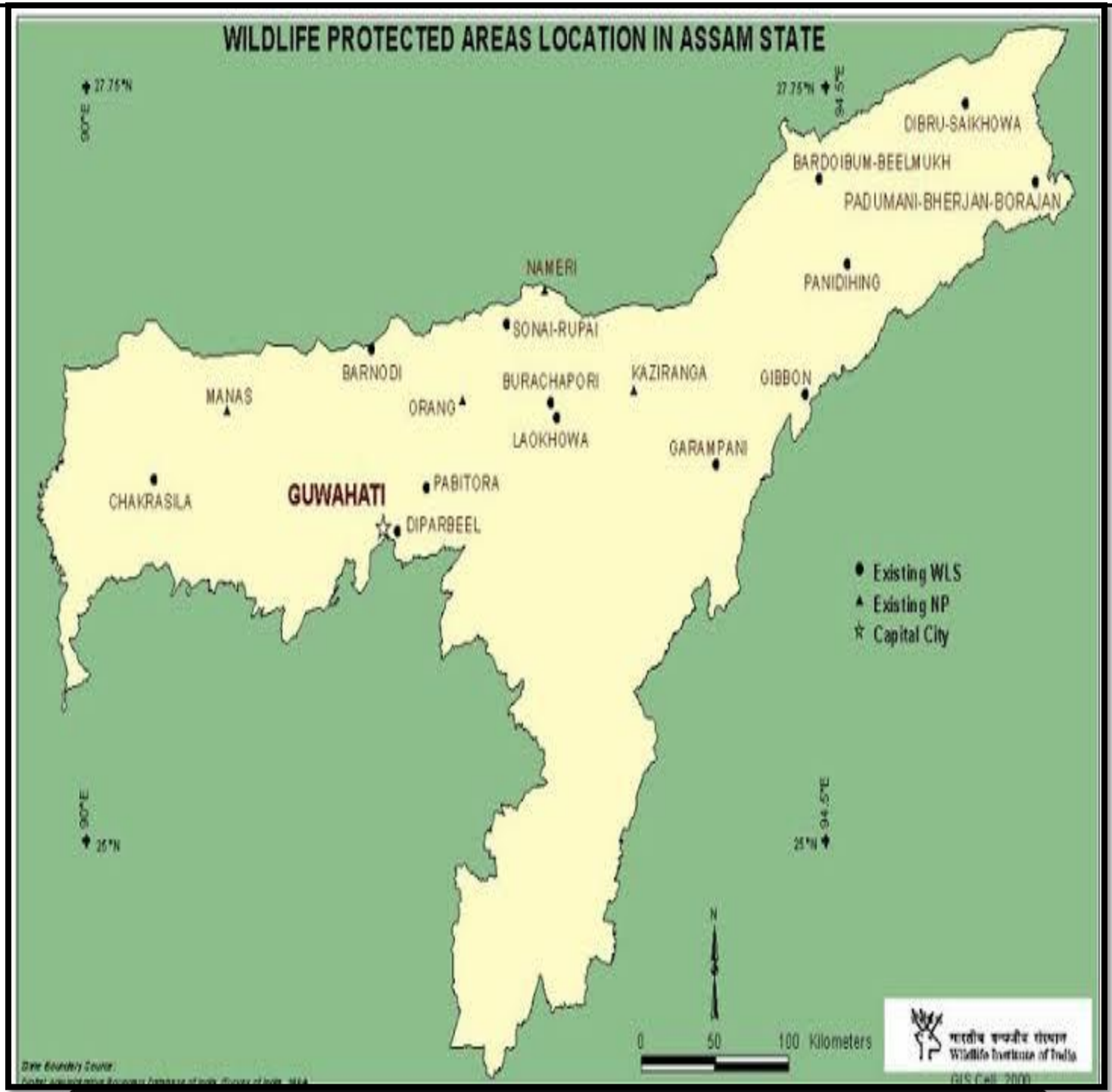

www.kautilyaacademy.com | CONTACT: 94250-68121, 91110-10991

नियम 267 और नियम 176

- मणिपुर के हालातों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष में ठन गई है। विपक्ष ने गुरुवार को इस पर रूल 267 के तहत चर्चा की मांग की थी। वहीं, दूसरी तरफ सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार तो है लेकिन उसने रूल 176 का हवाला दिया है। आखिर क्या हैं ये दोनों नियम जिन पर सरकार और विपक्ष अड़े हैं।
- वहीं, विपक्ष ने जोर देकर कहा कि **प्रधानमंत्री नियम 267** के तहत सभी मुद्दों को निलबित कर चर्चा के बाद स्वत: संज्ञान लें।मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अपने लिखित अनुरोध में कहा कि सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था के टूटने पर चर्चा के लिए 21 जुलाई 2023 के लिए वह नियम 267 के तहत नोटिस देते हैं।
- राज्यसभा में सूचीबद्ध अन्य सभी कार्यकलापों के निलंबन के लिए यह प्रस्ताव है। आखिर क्या है **नियम 267** जिसकी मांग विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए की है? दूसरी तरफ **रूल 176** क्या है जिसके तहत सरकार छोटी अवधि की चर्चा के लिए तैयार है?

रूल 267 क्या है?

- रूल 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को निलबित करने की विशेष शक्ति देता है।

- दरअसल, संसद में एक सदस्य के पास मुद्दों को उठाने और सरकार से जवाब मांगने के कई तरीके होते हैं। **प्रश्नकाल के दौरान** सांसद किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके तहत संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित उत्तर देना होता है। कोई भी सांसद **शून्यकाल के दौरान** इस मुद्दे को उठा सकता है।

- हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद के मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। कोई सांसद इसे विशेष उल्लेख के दौरान भी उठा सकता है। अध्यक्ष **प्रतिदिन 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति** दे सकते हैं।
- सांसद राष्ट्रपति के भाषण पर बहस जैसी अन्य चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास कर सकते हैं।
- **नियम 267** के तहत कोई भी चर्चा संसद में इसलिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है।
- अगर किसी मुद्दे को **नियम 267** के तहत स्वीकार किया जाता है तो यह दर्शाता है कि यह आज का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है।
- राज्यसभा नियम पुस्तिका में कहा गया है, 'कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है। वह प्रस्ताव ला सकता है कि उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध एजेंडे को निलबित किया जाए।
- अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलबित कर दिया जाता है। विपक्ष मणिपुर को लेकर इसी कारण **रूल 267** के तहत चर्चा की मांग कर रहा है।

➔ नियम 176 क्या है?

- ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र ने सोमवार को कहा था कि वह राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है

- सदन के नेता पीयूष गोयल भी बोले थे सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। **धनखड़** ने फिर कहा कहा था कि विभिन्न सदस्यों की ओर से **नियम 176** के तहत मणिपुर के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। सदस्य मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने के इच्छुक हैं। इन चर्चाओं के तीन चरण होते हैं।
- एक, सदन का प्रत्येक सदस्य अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस देने का हकदार होता है। उन नोटिसों पर उन्होंने विचार किया है। लेकिन, नियम के तहत उन्हें सदन के नेता से तारीख और समय की सलाह लेनी होगी।
- **नियम 176** किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, जो ढाई घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती।
- इसके अनुसार, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने का इच्छुक कोई भी सदस्य इस बारे में लिखित नोटिस दे सकता है।
- शर्त यह है कि नोटिस के साथ कारण बताया जाए। नोटिस को कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इसका समर्थन करते हों।

मणिपुर में हो रही हिंसा की क्या है सच्चाई?

- मणिपुर हिंसा में नगा, कुकी और मैतेई समुदाय शामिल
- मैतेई समुदाय ने दो दिनों में 1000 से अधिक हथियार लूटे
- मणिपुर हाई कोर्ट का मैतेई को एसटी में शामिल करने का आदेश जारी किया
- पहले से ही अनुसूचित जनजाति में शामिल नगा-कुकी हुए नाराज
- हिंदू मैतई की आबादी 62 से घटकर 53 फीसदी हुई
- वहीं कुकी और नगा में अधिकांश इसाई

भारत-श्रीलंका संबंध

- श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का भारत दौरा इस द्वीपीय देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण रहा। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक एवं ऊर्जा के स्तर पर अपने सहयोग को नए स्तर पर ले जाने के साथ ही कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव को लेकर अपना साझा दृष्टिकोण सामने रखा। श्रीलंका के आर्थिक संकट की स्थिति में भारत ने आगे बढ़कर मदद मुहैया कराई है।
- आर्थिक संकट के बाद पदभार संभालने वाले विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा है। भारत ने श्रीलंका को संकट से उबरने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- विज़न दस्तावेज़ का उद्देश्य **पर्यटन, बिजली, व्यापार, उच्च शिक्षा** और **कौशल विकास** में आपसी सहयोग को गति देना है।
- इस दृष्टिकोण का लक्ष्य दोनों देशों के समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना है।
- श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, तमिल समुदाय के लिए सम्मान और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करेगी साथ ही मछुआरों की आजीविका से संबंधित मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण से समाधान की बात की गई।

➔ श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष वित्तीय संकट के दौरान दिए गए समर्थन के लिए भारत की सराहना की और कहा, **'भारत की संवृद्धि पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी।'**

➔ **'विज़न दस्तावेज़' पाँच स्तंभों है:**

1. समुद्री कनेक्टिविटी
2. हवाई संपर्क
3. ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी
4. व्यापार, आर्थिक और वित्तीय कनेक्टिविटी
5. लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी।

- समुद्री कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और शिपिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से कोलंबो, त्रिंकोमाली और काकेसंथुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स के विकास में सहयोग की रूपरेखा तैयार करना है।
- समुद्री कनेक्टिविटी के लिए **नागपट्टनम (भारत)** और **काकेसंथुराई (श्रीलंका)** एवं **रामेश्वरम** से **तलाईमन्नार** के बीच नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही गई।
- दस्तावेज़ में चेन्नई और **त्रिंकोमाली, बट्टिकलोआ** और **श्रीलंका** के अन्य गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी की खोज के अलावात्रिंकोमाली पर समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बंदरगाह और उसके आस-पास के क्षेत्रों को **"नवीकरणीय ऊर्जा सहित उद्योग, ऊर्जा के लिए क्षेत्रीय केंद्र"** के रूप में विकसित करना है।
- हवाई संपर्क के लिए चेन्नई और कोलंबो के बीच उड़ानों के विस्तार का भी उल्लेख किया गया।
- ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी पर, दोनों पक्षों ने श्रीलंका और बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) पहल सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए एक उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बनाई है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि इससे न केवल श्रीलंका में बिजली की लागत कम करने की क्षमता है, बल्कि श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा का स्रोत बनाने में भी मदद मिलेगी।

- दस्तावेज़ में **सैमपुर सौरऊर्जा परियोजना** और **एलएनजी बुनियादी ढांचे** पर समझौता के कार्यान्वयन में तेजी लाने और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में सहयोग की खोज की भी बात की गई है।
- दोनों देश **श्रीलंका** के **अपस्ट्रीम पेट्रोलियम** क्षेत्र को विकसित करने के लिए श्रीलंका के अपतटीय बेसिनों में हाइड्रोकार्बन की संयुक्त खोज और उत्पादन करने के अलावा, दक्षिण भारत से श्रीलंका तक एक बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन पर भी काम करेंगे।
- दस्तावेज़ के अनुसार, नए और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को व्यापक रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते किया गया।
- दोनों देशों के बीच **व्यापार निपटान (trade settlements)** के लिए भारतीय रुपये को मुद्रा के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया। व्यवसायों और आम लोगों के बीच व्यापार और लेनदेन को बढ़ाने के लिए यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान को चालू करने के लिए श्रीलंका पे और ईसीआई इंटरनेशनल के बीच डिजिटल लेनदेन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- दोनों पक्ष श्रीलंका के लोगों को नागरिक-केंद्रित सेवाओं की प्रभावी और कुशल डिलीवरी की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने पर भी सहमत हुए।

- लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी के लिए दोनों देश शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन के लिए भारत नेबौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल (Ramayana trail) के साथ-साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को लोकप्रिय बनाने की योजना बनाने पर सहमत हुए।
- इसके अलावा **कृषि, जलीय कृषि, आईटी, व्यवसाय, वित्त और प्रबंधन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, पृथ्वी और समुद्री विज्ञान,अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, साथ ही इतिहास, संस्कृति, भाषाओं, साहित्य, धार्मिक अध्ययन** के साथ अन्य मानविकी जैसे पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को विस्तार देना है।